



# यू० पी० बैंक इम्प्लाइज यूनियन

पंजीकरण संख्या-538

ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध

केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा-282002

पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा-282 001, मो: 09837472750

फोन/फैक्स: (नि०) 0562-4044383, E-mail: mmrai\_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com

परिपत्र संख्या : 2016-19/58/2018

दिनांक : 30.05.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों  
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

## 48 घण्टे की निरन्तर अखिल भारतीय बैंक हड़ताल सफलतापूर्वक आरंभ हुई

आज पूरे प्रदेश में यूएफबीयू के आह्वान पर पूर्ण हड़ताल रही हमें प्रदेश के कोने-कोने से सूचनायें मिल रही हैं कि किस प्रकार बैंकों और कार्यालयों के ताले नहीं खुल पाये। इसके अतिरिक्त बैंक कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन के लिए पूरे प्रदेश के हर केन्द्र पर प्रदर्शन, धरना, जूलूस आदि आयोजित किये और एक ऐसा माहौल बन गया कि जिसमें जन सहानुभूति भी हम लोगों के प्रति आ गई। हमने अपने ग्राहकों और सहयोगियों का धन्यवाद किया कि उन्होंने कष्ट सहकर भी हमारी न्यायोचित मांगों का समर्थन किया और प्रदेश के किसी कोने से इस हड़ताल के विरोध की बात सामने नहीं आई। हम अपने सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद और लाल सलाम प्रस्तुत करते हैं और आशा करते हैं कि वे कल भी इसी प्रकार से हड़ताल को सफल बनायेंगे।

हम एआईबीईए के महामंत्री साथी सी.एच. वेंकटचलम् द्वारा आज जारी की गई प्रैस विज्ञप्ति का अनूदित सार आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

क्रान्तिकारी अभिवादन सहित,

आपका साथी

(मदन मोहन राय)

महामंत्री

सी.एच. वेंकटचलम्, महामंत्री, एआईबीईए द्वारा जारी प्रैस विज्ञप्ति

30.05.2018

## 48 घण्टे की निरन्तर अखिल भारतीय बैंक हड़ताल सफलतापूर्वक प्रारंभ हुई

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स जो 9 बैंक यूनियनों नामतः एआईबीईए, एआईबीओसी, एनसीबीई, एआईबीओए, बैफी, इन्बैफ, इन्बौक, एनओबीडब्लू तथा नोबो से मिलकर बना हैं, ने आज सुबह 6 बजे से 48 घण्टे/2 दिवसीय निरन्तर हड़ताल का आह्वान किया था।

बैंकों में वेतन पुनरीक्षण 1 नवम्बर, 2017 से देय है। सरकार इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन को नवम्बर, 2017 से पहले समझौते को अन्तिम रूप से तय करने की सलाह दे रही है। यूनियनों ने मई, 2017 में माँग पत्र प्रस्तुत कर दिया और मई, 2017 में यूनियनों के साथ विचार-विमर्श आरंभ हुआ।

लेकिन भले ही पिछले एक वर्ष में विचार-विमर्श के कई दौर हुए, आईबीए कोई भी प्रस्ताव करने के लिए आगे नहीं आई। 5 मई, 2018 का हुई वार्ता में आईबीए ने बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति का एक कारण के रूप में हवाला देते हुए 2% वेतन वृद्धि का प्रस्ताव दिया। उन्होंने सभी अधिकारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण पर बातचीत करने से भी इंकार कर दिया और स्केल I, II तथा III तक के अधिकारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण सीमित कर दिया और वेतन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत स्केल IV से VII तक को शामिल नहीं किया यद्यपि 1979 से अधिकारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण स्केल I से स्केल VII तक के सभी अधिकारियों को कवर कर रहा था।

जारी पृष्ठ 2

यूनियनों इन प्रस्तावों से सहमत नहीं थीं और 30 एवं 31 मई की 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल के नोटिस के प्रत्युत्तर में, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार (श्री सागर) ने दिल्ली में अपने कार्यालय में 28.05.2018 को एक समझौता बैठक आयोजित की। आईबीए, वित्त मंत्रालय तथा यूनियनों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

यूनियनों की ओर से हमने स्पष्ट किया कि 2% का आईबीए का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह सार्थक वार्ता के लिए कोई आधार नहीं बनाता क्योंकि पिछले समझौते में, वृद्धि 15% थी।

दूसरे, सभी बैंक परिचालन लाभ कमा रहे हैं (2016-17 के लिए ₹0 159,000 करोड़) लेकिन खराब ऋणों के लिए प्रावधानों के कारण, बैंकों का लाभ समायोजित किया जाता है और कम लाभ दिखाया जाता है। बैंक कर्मचारियों के लिए उचित वेतन पुनरीक्षण से इंकार करने के लिए यह एक कारण नहीं हो सकता।

इसके अलावा हमने कहा कि जैसा कि विगत में होता आया है, अधिकारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण में स्केल I से स्केल VII तक के सभी अधिकारियों को शामिल करना चाहिए।

मुख्य श्रम आयुक्त ने हमारे दृष्टिकोण की सराहना की और आईबीए से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा ताकि हड़ताल को टाला जा सके।

यूनियनों की ओर से हमने आईबीए से संशोधित प्रस्ताव करने और अधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण पर स्पष्ट करने का आग्रह किया ताकि हम मुख्य श्रम आयुक्त की अपील पर विचार कर सकें। लेकिन आईबीए ने आगे बढ़कर कुछ भी आश्वासन नहीं दिया।

**चूंकि समझौता बैठक में कोई सकारात्मक प्रगति नहीं हुई, घोषणा के अनुसार 30 तथा 31 मई, 2018 की हड़ताल के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया। हड़ताल आज सुबह शुरू हो गई और यह पूरे देश में पूर्णतः सफल है।**

**हड़ताल पूर्णतः सफल :** विभिन्न राज्यों और केन्द्रों जैसे मुम्बई, दिल्ली, कोलकता, चैन्नई, बेंगलूरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, नागपुर, जम्मू, गुवाहाटी, जमशेदपुर, लखनऊ, आगरा, अम्बाला, त्रिवेन्द्रम आदि से हमें प्राप्त हो रही सूचनाओं के अनुसार सभी बैंकों और सभी शाखाओं में कर्मचारियों ने हड़ताल में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

**अधिकांश शाखायें बन्द पड़ी रहीं** और कोई बैंकिंग गतिविधि आरंभ नहीं हो सकी। नकद लेन-देन, समाशोधन संचालन, मुद्रा बाजार संचालन, सरकारी राजकोष खाता संचालन, आयात और निर्यात बिल प्रसंस्करण, ऋण की मंजूरी अथवा ऋण का पुर्नभुगतान आदि पूरी तरह से प्रभावित थे। कई एटीएम में 'नकदी पूरी तरह से समाप्त' हो गई।

**चैकों के समाशोधन में,** चैन्नई में दक्षिणी ग्रिड में, लगभग ₹0 7000 करोड़ मूल्य के लगभग 12 लाख चैक रुक गए जबकि मुम्बई ग्रिड में, यह लगभग ₹0 8,800 करोड़ मूल्य के 17 लाख चैक थे और दिल्ली ग्रिड में, यह लगभग ₹0 5,900 करोड़ मूल्य के 10 लाख चैक थे। कल भी इसी प्रकार से चैक समाशोधित नहीं हो पायेंगे।

**प्रदर्शन और सभायें :** पूरे देश में, प्रत्येक कस्बे और शहर में, कर्मचारियों और अधिकारियों ने आईबीए के निर्णय पर अपना असंतोष व्यक्त करते हुए प्रदर्शन और सभाओं का आयोजन किया और मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति के अनुरूप अपने वेतन में पर्याप्त वृद्धि के साथ शीघ्र वेतन पुनरीक्षण की मांग की।

**आईबीए का निर्णय अमान्य है :** इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन का निर्णय कि आईबीए उच्च वेतन वृद्धि वहन नहीं कर सकती क्योंकि बैंक लाभ नहीं कमा रहे हैं अमान्य है क्योंकि तथ्य इससे भिन्न हैं।

(सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक)	सकल परिचालन लाभ
<b>2008-09</b>	45,494 करोड़
<b>2009-10</b>	57,293
<b>2010-11</b>	74,731
<b>2011-12</b>	87,691
<b>2012-13</b>	93,684
<b>2013-14</b>	1,27,653
<b>2014-15</b>	1,38,440
<b>2015-16</b>	1,36,926
<b>2016-17</b>	1,58,982
<b>2008-09 से 2016-17 तक</b>	<b>9,20,894</b>

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि बैंक वर्षवार बहुत अच्छा परिचालन लाभ कमा रहे हैं।

ये लाभ कहां जाते हैं :

(सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक)	खराब ऋणों/ अनार्जक आस्तियों / आकस्मिकताओं के लिए परिचालन लाभ से किए गए प्रावधान	प्रकाशित शुद्ध लाभ
<b>2008-09</b>	11,121	34,373
<b>2009-10</b>	18,036	39,257
<b>2010-11</b>	29,830	44,901
<b>2011-12</b>	38,177	49,514
<b>2012-13</b>	43,102	50,582
<b>2013-14</b>	90,634	37,019
<b>2014-15</b>	1,00,900	37,540
<b>2015-16</b>	1,54,918	- 17,992
<b>2016-17</b>	1,70,370	- 11,388
<b>2008-09 से 2016-17 तक</b>	<b>6,57,088</b>	<b>2,63,806</b>

बढ़ते हुए खराब ऋण – क्या कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि खराब ऋणों के लिए प्रावधान बढ़ रहे हैं क्योंकि खराब ऋण और अनार्जक आस्तियां प्रत्येक वर्ष बढ़ रहे हैं। कोई भी देख सकता है कैसे बैंकों में खराब ऋण बढ़ गए हैं।

वर्ष	सकल एनपीए (रु० करोड़ में)
<b>1992-93</b>	<b>39,250</b>
<b>1993-94</b>	<b>41,040</b>
<b>1994-95</b>	<b>38,380</b>
<b>1995-96</b>	<b>41,660</b>

<b>1996-97</b>	<b>45,377</b>
<b>1997-98</b>	<b>45,653</b>
<b>1998-99</b>	<b>51,710</b>
<b>1999-00</b>	<b>53,033</b>
<b>2000-01</b>	<b>54,672</b>
<b>2001-02</b>	<b>56,473</b>
<b>2002-03</b>	<b>54,090</b>
<b>2003-04</b>	<b>51,537</b>
<b>2004-05</b>	<b>48,399</b>
<b>2005-06</b>	<b>41,358</b>
<b>2006-07</b>	<b>38,968</b>
<b>2007-08</b>	<b>40,452</b>
<b>2008-09</b>	<b>44,957</b>
<b>2009-10</b>	<b>59,926</b>
<b>2010-11</b>	<b>74,600</b>
<b>2011-12</b>	<b>1,12,489</b>
<b>2012-13</b>	<b>1,64,462</b>
<b>2013-14</b>	<b>2,29,278</b>
<b>2014-15</b>	<b>2,80,481</b>
<b>2015-16</b>	<b>5,41,972</b>
<b>2016-17</b>	<b>6,86,750</b>
<b>दिसम्बर, 2017</b>	<b>7,77,280</b>

क्या आईबीए कह सकती है कि बैंकों के सामान्य कर्मचारी तथा अधिकारी बैंकों में इन विशाल खराब ऋणों के लिए जिम्मेदार हैं ? क्या इस विशाल एनपीए के वजह से कर्मचारियों तथा अधिकारियों को कमतर वेतन पुनरीक्षण के साथ उत्पीड़ित किया जा सकता है ?

**व्यवसाय की मात्रा तथा कार्य की मात्रा बढ़ रही है :**

व्यवसाय की मात्रा तथा कर्मचारियों तथा अधिकारियों के कार्य की मात्रा हाल के वर्षों में अत्यंत बढ़ गई है जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है :

<b>वर्ष</b>	<b>जमाराशि</b>	<b>अग्रिम</b>	<b>कुल व्यवसाय</b>
<b>31-3-2012</b>	<b>47,90,000</b>	<b>36,97,000</b>	<b>84,87,000 करोड़</b>
<b>31-3-2013</b>	<b>57,45,000</b>	<b>44,72,000</b>	<b>1,02,17,000</b>
<b>31-3-2014</b>	<b>65,90,000</b>	<b>51,00,000</b>	<b>1,16,90,000</b>
<b>31-3-2015</b>	<b>71,95,000</b>	<b>54,76,000</b>	<b>1,26,71,000</b>
<b>31-3-2016</b>	<b>74,86,000</b>	<b>55,94,000</b>	<b>1,30,80,000</b>
<b>31-3-2017</b>	<b>108,05,000</b>	<b>78,81,000</b>	<b>1,86,86,000</b>
<b>30-3-2018</b>	<b>114,75,000</b>	<b>86,50,000</b>	<b>2,01,25,000 करोड़</b>

इसके अलावा, बैंक कर्मचारियों तथा अधिकारियों को बहुत ज्यादा गैर-बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए मजबूर किया जाता है और विभिन्न सरकारी योजनाओं के काम का सारा बोझ बैंक कर्मचारियों के कंधों पर आ गया है।

हर कोई बढ़ते हुए तनाव से अवगत है जिसके अन्तर्गत बैंक कर्मचारी बैंक शाखाओं में काम कर रहे हैं और घाव पर नमक छिड़कते हुए, वेतन में इतनी तुच्छ वृद्धि आईबीए द्वारा प्रस्तुत की जाती है। यह पूरी तरह से अनुचित और अस्वीकार्य है।

अधिक शाखाएँ खोली गई हैं लेकिन पर्याप्त भर्ती की कमी के कारण, कार्यभार बढ़ रहा है :

वर्ष	पीएसबी में शाखाओं की संख्या
<b>31-3-2012</b>	<b>67,930</b>
<b>31-3-2013</b>	<b>74,000</b>
<b>31-3-2014</b>	<b>81,715</b>
<b>31-3-2015</b>	<b>87,303</b>
<b>31-3-2016</b>	<b>90,437</b>

वेतन वृद्धि बढ़ते हुए कार्यभार के अनुरूप होनी चाहिए।

प्रति कर्मचारी व्यवसाय में वृद्धि – एक संकेतक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

वर्ष	प्रति कर्मचारी व्यवसाय
<b>31-3-2012</b>	<b>1879 लाख</b>
<b>31-3-2013</b>	<b>2159 लाख</b>
<b>31-3-2014</b>	<b>2340 लाख</b>
<b>31-3-2015</b>	<b>2618 लाख</b>
<b>31-3-2016</b>	<b>2730 लाख</b>

कुल व्यय के % के रूप वेतन घट गया है :

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में

वर्ष	कुल व्यय के % के रूप में वेतन बिल
<b>31-3-2012</b>	<b>13.72</b>
<b>31-3-2013</b>	<b>11.44</b>
<b>31-3-2014</b>	<b>11.62</b>
<b>31-3-2015</b>	<b>11.35</b>
<b>31-3-2016</b>	<b>10.81</b>

इसलिए यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि वेतन वृद्धि कुल लागत को बढ़ाएगी और लाभ को कम करेगी।

कीमतें बढ़ रही हैं – वेतन भी बढ़ना चाहिए :

	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
नवम्बर 2011	4440
नवम्बर 2012	4876
नवम्बर 2013	5400
नवम्बर 2014	5764
नवम्बर 2015	6032
नवम्बर 2016	6352
नवम्बर 2017	6574

जब मुद्रास्फीति अनियंत्रित है और कीमतें अनियंत्रित हैं, तो क्या वेतन को घटाया जा सकता है। क्या ये उचित है कि न्यायोचित वेतन वृद्धि से इंकार कर दिया जाये ?

**आगे का कार्यक्रम :** यदि आईबीए हमें बातचीत करने और सौहार्दपूर्ण तरीके से मांगों को हल करने के लिए आमंत्रित करेगी, हम समझौते को शीघ्र करने के लिए सहयोग करेंगे। अन्यथा, हमें अपने संघर्षों को तेज करना पड़ सकता है।

ह0..  
सी.एच. वेंकटचलम्  
महामंत्री